

LOK SABHA DEBATES

1

LOK SABHA

Monday August 7, 1978/Sravana 16,
1900 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the
Clock

[MR SPEAKER in the Chair]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Assistance to Small Farmers for Minor Irrigation

*304 SHRI RAJENDRA KUMAR SHARMA Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state

(a) whether Government are considering the question of providing facility and assistance to small farmers in all the districts in the country for development of minor irrigation,

(b) the number of districts of Uttar Pradesh included under this scheme and

(c) how far this scheme will be successful?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH) (a) Government of India have already decided to extend the facility of subsidy to small and marginal farmers for development of minor irrigation taken up on an area basis and with technical clearance in all areas of the country

(b) All districts of Uttar Pradesh will be covered under this;

2

(c) The Government of India's decision has been communicated to all the State Governments/Union Territories. The implementation will be by the State Governments/Union Territories and their agencies. As the benefits of minor irrigation to small and marginal farmers are realised by everyone, it is hoped that a large number of small and marginal farmers will be able to benefit under this scheme of assistance.

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : मंत्री महोदय ने प्रश्न के उत्तर में उसी प्रश्न को पुनः दोहरा दिया है। वास्तविकता उसमें क्या है, अर्थ क्या होना चाहिए, इसकी सच्चाई प्रकट नहीं होती है मंत्री महोदय स्वयं इस बात को स्वीकार करेंगे कि आज राष्ट्रव्यापी सिंचाई की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। चारों तरफ उसकी मांग है और लघु सिंचाई योजना के माध्यम से हम देश का कल्याण कर सकते हैं। जो योजना तैयार की गई है इसमें कितना धन व्यय किया जा रहा है? इस योजना को सभी राज्यों में एक मापदण्ड के आधार पर लागू किया जायगा, इस विषय में इन्होंने कोई जानकारी नहीं दी, ये विस्तार से इस सदन को सूचित करें कि इसका स्वरूप क्या होगा?

आज तक मेरे जिले में अन्तर्गत किसी प्रकार की कोई योजना लागू नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश के मेरे जिले रामपुर में केवल 30 प्रतिशत भूमि की सिंचाई की व्यवस्था है, बहा पर छोटे छोटे किसान हैं, राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार की तरफ से आज तक कोई आर्थिक सहायता या लघु

सिंचाई योजना का कोई कार्यक्रम यहां नहीं दिया गया है, इस के क्या कारण हैं, मंत्री महोदय यह भी बतायें ?

श्री भानु प्रताप सिंह : समझने या समझाने में कोई त्रुटि हुई है, क्योंकि मैंने बहुत स्पष्ट कहा है कि जो सुविधा अभी स्माल फार्मर्स एजन्सो वाले एरिया या स्पेशल ग्रेडाम वाले एरिया में उपलब्ध थी कि छोटे किसानों को सबसेड़ी मिलेगी, वह सारे देश के छोटे और मजिनल किसानों को उपलब्ध करा दी गई है। उसमें रामपुर जिला आता है। यह बात सही है कि अभी तक रामपुर जिले में कोई योजना ऐसी नहीं है, लेकिन यहां तक छोटे किसानों की सिंचाई की सुबधा का प्रश्न है, केवल रामपुर जिला ही नहीं, देश के हर जिले में जहां नीचे पानी है, सिर्फ एक ही बात कि ब्राउन्ड वाटर की एबेलेबिलिटी है, इस बारे में संयुक्त हो जाने के बाद यह सबसीडी की सुविधा एक हैक्टर से नीचे वाले किसानों को 35 फीसदी, 1 से 2 हैक्टर वालों को 25 फीसदी और अथर कम्युनिटी, कई लोग मिलकर बनायें तो 50 फीसदी सबसीडी देव के सभी छोटे किसानों को जहां पानी उपलब्ध है, विसादी गई है।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : माननीय मंत्री जी इस बात को धक्की तरह से जानते हैं कि इससे पूर्व स्माल फार्मर डेवलपमेंट एजन्सी के नाम से देश के अनेक ब्लॉक स्तर पर इस प्रकार की कई योजनाएं चलाई जा रही थीं। माननाय मंत्री जी इन बात का स्पीकीकरण दें कि आतंरह तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं, उनके पीछे और कारण इन्वाल्ड हो जाते हैं, उनके बारे में मंत्री विधायक या एम० पी० प्रोपोजल देने हैं, वह योजनाओं का अपने-अपने क्षेत्र में ले जाते हैं, मेरा कहना यह है कि एक ही योजना सारे देश में सभी जिला स्तरों पर चलाई जानी चाहिए, इस बारे में भी मंत्री महोदय जानकारी दें ?

श्री भानु प्रताप सिंह : एक ही योजना सारे देश में एक साथ चलाना दो कारणों से उभय नहीं है। एक तो परिस्थितियां भिन्न-भिन्न होती हैं, इसलिए योजनाएं भिन्न-भिन्न बनाना पड़गी, दूसरे बांधिक साधनों ही भी कम हैं, किसी एक प्रांम को पूरे देश में नहीं चला सकते। ...

(Interruptions)

MR. SPEAKER: Parliamentary practice is that you must hear the Minister also, not merely put your questions.

श्री भानु प्रताप सिंह : यह बात जरूर है कि पक्षपात की कोई एजाइशन नहीं है, इसके लिए हम लोगों ने गाइड-साइन्स से-वैलुन कर दा है कि किस प्रकार से यह ब्लाक छुटि जायेंगे।

SHRI V. M. SUDHEERAN: May I know from the hon. Minister whether he is aware of the grievances of the farmers of Kerala, particularly, of the Kuttanad area in Alleppey District and whether any representation has been received from the farmers in this regard for providing them assistance through the Kerala Government and if so, what is the reaction of the Government thereto?

SHRI BHANU PRATAP SINGH: If I remember correctly, I have visited that Kuttanad area and the farmers there gave me a representation. One of the demands was setting up a rice mill for processing the paddy produced in the Kuttanad area. ...

MR. SPEAKER: We are on irrigation now. You may say if you have received any representation regarding irrigation.

SHRI BHANU PRATAP SINGH: As far as I am aware, no irrigation is required there. In fact, water has to be pumped out.

MR. SPEAKER: It is a question of draining there.

श्री रामधारी शास्त्री : मैं यह जानना चाहता हूँ कि सीमांत किसानों को सब्सिडी के अलावा और सहायता देने की सरकार क्या योजना है ? क्या कृषि मंत्रालय इस बात के ऊपर विचार करेगा कि जो छोटे किसान हैं उन को बैंक से जो ऋण मिलता है उस पर सूद की दर कम हो ?

MR. SPEAKER: That does not arise from the question. This question relates to subsidy.

श्री रामधारी शास्त्री : मेरा क्वेश्चन था कि सब्सिडी के अलावा और सहायता देने की इन की क्या योजना है ?

MR. SPEAKER: That again does not arise.

श्री कन्नोदेवर सिंह : मैं यह जानना चाहता हूँ कि कितने जिलों में अभी तक यह योजना लागू की गई है और इस योजना के ऊपर कुल कितना पैसा खर्च हुआ ? दूसरा मेरा सवाल है कि क्या इस का कोई जिले-वार सर्वे कराया गया है कि कहां जमीन के नीचे पानी मौजूद है और कहां पानी मौजूद नहीं है ? जहां मौजूद नहीं है वहां पर सिंचाई के लिए कौन सी योजना कार्यान्वित की जा रही है ?

श्री जानु प्रताप सिंह : श्रीमन्, स योजना पर 40 6 करोड़ रुपया व्यय हुआ है और इस से लगभग 6 46 लाख किसानों ने लाभ उठाया है। ..(अवधान) .. सर्वे तो बराबर हो रहा है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी ।

श्री कन्नोदेवर सिंह : कितने जिलों में अभी तक यह योजना लागू हुई है और क्या इस का कोई जिले-वार सर्वे किया गया है कि कहां कहां जमीन के नीचे पानी मौजूद

है ? तीसरा मेरा सवाल है कि जहां पानी नहीं है जमीन के नीचे, वहां के लिए क्या योजना है ?

श्री जानु प्रताप सिंह : आन्ध्र प्रदेश में 15, आसाम-4, बिहार-22, गुजरात-6, हरयाणा-3, हिमाचल प्रदेश-3, जम्मू-काश्मीर-4, केरल-4, कर्नाटक-7, मध्य प्रदेश-12, महाराष्ट्र-12, मणिपुर-1, मेघालय-2, नागालैण्ड-1, उड़ीसा-7 पंजाब-4, राजस्थान-6, त्रिपुरा-1, तामिलनाडु-12, उत्तर प्रदेश-26, वेस्ट बंगाल-9, गोवा, दमन, द्यू-1, पांडिचरी-1, दिल्ली-1, झरणाचल प्रदेश-1 सिक्किम-1, इस प्रकार से इतने जिलों में यह लागू की गई है ।

Committee on Nationalisation of Irrigation Water Rates

*306 SHRI VASANT SATHE Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state in view of the wide disparity in the irrigation rates charged by the State Governments from the cultivators for important crops, would the Government consider setting up an experts committee task force to study the problem in depth and suggest rationalisation of water rates structures in the country which is most out-moded and highly un-economic?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) A statement is laid on the Table of the House

Statement

Irrigation is a State subject and charges for supply of irrigation waters are fixed by the State Governments

Irrigation rates vary from State to State and sometimes within the State. The question of rationalisation and uniformity of water rates has been engaging Government's attention over